

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली-बहरोड  
 रिछपालसिंह बनाम उपखण्ड अधिकारी पावटा वगै०  
 केस संख्या .....57...../2024 प्रा०पत्र मुत्तकिल

क्र० स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	5/11/24	<p>पञ्चावली गाज पेरा दुई वकील ठाकी उपस्थित।                      वकील ठाकी सं० 5 उपस्थित। वकील ठाकी-ने                      बडाकीगण की राखी नही बरवाई है जबकि                      वकील ठाकीको राखी हेर पूर्व मे गई बरवाई                      किये जा चुके हैं। वकील ठाकी सं० 5 ने भी                      जाति जिया बि केर बडाकीगण की राखी नही                      बरवाई मात्र उपकरण के डेरी काम की वजह                      से राखी नही बरवाई रही है। पञ्चावली का                      दखलाने करने पर पञ्चावली कि ठाकी द्वारा                      बडाकीगण की राखी के आदेश के बावजूद राखी                      नही बरवाई है। तथा ठाकी का यह मुताबिक                      ठाकी आदेश 9 किमान 5 CPC के तहत खारिज                      किया जाता है। तदनुसार ठाकी की उचित बरवाई                      जाकर पञ्चावली के तहत ठाकी के तहत खारिज किया गया।</p>	

जिल्ला कलक्टर  
 कोटपूतली-बहरोड